भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1701

जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

भूजल पुनर्भरण

1701. श्री नारायण तातू राणे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पानी की कमी वाले शहरों में भूजल पुनर्भरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में भूजल पुनर्भरण के लिए कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की महाराष्ट्र में भूजल के कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) स्तर की निगरानी के लिए नीति का जिला-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के शहरों सहित देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूजल के संरक्षण और सतत प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं: -

i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के 7 जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

ii. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना-2020 तैयार की गई है और अनुमानित लागत के साथ देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा

तैयार कर इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। महाराष्ट्र राज्य की मास्टर योजना में वर्षा जल के संचयन के लिए लगभग 56 लाख संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्लूएम और आर) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत जलभृत के विन्यास और उनके विशिष्टीकरण के चित्रण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम) आरंभ किया गया है। महाराष्ट्र के 2.59 लाख वर्ग किमी सहित देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। ये प्रबंधन योजनाएं मुख्य रूप से भूजल के सतत् विकास के उपायों पर बल देती हैं जिसमें वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण उपाय भी शामिल हैं।

iv. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित बल दिया गया है। एमबीबीएल के अनुसार, 100 वर्ग मी या इससे अधिक के प्लाट आकार वाले सभी भवनों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन के पूर्ण प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन उप-नियमों की विशेषताओं को अपनाया गया है।

v. शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा उथले जलभृत प्रबंधन (एसएएम) परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, ताकि शहरों की समग्र जल सुरक्षा में संवर्धन के लिए विभिन्न उपायों का पता लगा कर उन्हें अपनाया जा सके जिससे उथले जलभृतों का पुनरुद्धार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में पुणे और ठाणे सहित चुनिंदा 10 शहरों में हैरिटेज कुओं, इंजेक्शन बोरवेल, परकोलेशन बेड, रिचार्ज शाफ्ट आदि का पुनरुद्धार जैसी विभिन्न पहल की गईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्रों में भूजल की स्थिति में संवर्धन हुआ है।

vi. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा महाराष्ट्र के जल की कमी वाले क्षेत्रों में अनेक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है यथा उस्मानाबाद में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (121 संरचनाएं), वर्धा और अमरावती जिलों में नवाचारी पुल-सह-बंधारा (5 संरचनाएं) आदि।

(ख) और (ग): चूंकी जल राज्य का विषय है, जल संसाधन के प्रबंधन के लिए नीति/दिशानिर्देश तैयार करना मुख्यतः राज्यों का दायित्व है। तथापि, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) भी तैयार की गई है जिसमे *अन्य बातों के साथ-साथ* वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया है तथा यह वर्षा जल के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।

(घ): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा ईसी/टीडीएस सहित विभिन्न रासायनिक मापंदडो हेतु देश में भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है। एसओपी के अनुसार, देश भर में सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों के लिए 5 वर्ष में एक बार बैकग्राउन्ड भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग की सिफारिश की गई है तथा उन स्थानों पर जहां भी संदूषक की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक हैं, वहाँ नियमित प्रवृत्ति की मॉनिटरिंग (वर्ष में दो बार, मानसून पूर्व और मानसून पश्चात) की जानी है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर महाराष्ट्र सहित पूरे देश के विद्युत चालकता (ईसी)/कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) सहित भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए जाते हैं। भूजल गुणवत्ता के आंकड़ों को राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है और इसे वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराया जाता है। मई 2023 के ईसी/टीडीएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में, टीडीएस मान सिंधुदुर्ग में न्यूनतम 136 (औसत मान) से लेकर सोलापुर में अधिकतम 1173 (औसत मान) के मध्य थी।

इसके अतिरिक्त पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पेय जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके तहत, विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ गांवों से एकत्र किए गए जल के नमूनों में कुल घुलनशील ठोस (टीडीएस) की भी नियमित रूप से जांच की जाती है।

*****